संख्या-130/2018/1224/26-3-2018-10(01)/2008

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 27 अप्रैल 2018

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 की योजनान्तर्गत प्रदेश स्थित उत्कृष्ठ श्रेणी के कोचिंग केन्द्रों के माध्यम से प्रारम्भिक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को कोचिंग प्रदान करने की योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-107/स0क0/विकास/कोचिंग-37/2018-19 दिनांक-16.04.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के योजनान्तर्गत प्रदेश स्थित उत्कृष्ठ श्रेणी के कोचिंग केन्द्रों के माध्यम से प्रारम्भिक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0-100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0-50.00 (रूपये पचास लाख मात्र) को अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखें जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है, जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) उक्त धनराशि का व्यय योजना के दिशा-निर्देशों/मार्गदर्शी सिद्धान्तों में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं को पूर्ण कराकर किया जायेगा। योजनान्तर्गत चयनित कोचिंग संस्थाओं तथा लाभान्वित होने वाले अभ्यर्थियों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कराकर धनराशि व्यय की जायेगी।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि विगत वर्षो में शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/डिपाजिट खातों आदि में नहीं जमा है और पूर्व में अवमुक्त सम्पूर्ण धनराशि व्यय कर उपयोग/उपभोग कर लिया गया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

है और आवंटित धनराशि के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त कोई धनराशि व्यय हेतु अवशेष नहीं पड़ी है।

(4) धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय नियमों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं योजना में धनराशि व्यय किये जाने के लिए निर्धारित नियमावली/स्थायी आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा। वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/ दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च 2018 में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर मे जमा न की जाय।

(5) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है तथा योजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि को पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों(स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी
भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों/सेवाओं पर व्यय के लिए न किया जाये तथा शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का पुनर्विनियोग न किया जाये।

(6) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(7) स्वीकृत की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन एवं महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा जो धनराशि अवशेष बचेगी उसे वित्तीय वर्ष के अन्त में राजकोष में समर्पित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-''2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-07-छात्र/छात्राओं को परीक्षापूर्व प्रशिक्षण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा''।

भवदीय,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

संख्या-130/2018/1224(1)/26-3-2018तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।

2.महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3.मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4.वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5.वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/2
6.राज्य योजना आयोग-1/2
7.निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
8.बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
9.गार्डफाइल

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।